रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062023-246722 CG-DL-E-21062023-246722

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2615] No. 2615] नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2023/ज्येष्ठ 31, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2023/JYAISHTHA 31, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून, 2023

का.आ. 2729(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एन-ब्यूटाइल एक्राइलेट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एन-ब्यूटाइल एक्राइलेट (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश. 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एन-ब्यूटाइल एक्राइलेट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 22 दिसंबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-(2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

3946 GI/2023 (1)

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5438(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 2729(अ), तारीख 13 जून, 2022 और संख्यांक का.आ. 5992(अ), तारीख 21 दिसंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 20th June, 2023

- **S.O. 2729(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the n- Butyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021, namely: —
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the n- Butyl Acrylate (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the n- Butyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:
 - "(2) It shall come into force on the 22nd day of December, 2023."

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part (2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5438(E), dated the 24th December, 2021 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 2729(E), dated the 13th June, 2022 and S.O. 5992(E), dated the 21st December, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून, 2023

- का.आ. 2730(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, टोल्यूइन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम टोल्यूइन (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. टोल्यूइन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 22 दिसंबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-(2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5436(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 2727(अ), तारीख 13 जून, 2022 और संख्यांक का.आ. 5990(अ), तारीख 21 दिसंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 20th June, 2023

- **S.O.** 2730(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Toluene (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Toluene (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Toluene (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force on the 22nd day of December, 2023."

[F.No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part (2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5436(E), dated the 24th December, 2021 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 2727(E), dated the 13th June, 2022, and S.O. 5990(E), dated the 21st December, 2022.